कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्याः— 623/1जी— FP/UK/ROAD/20227/2016 देहरादूनः दिनांकः 22 अगस्त, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः— जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट मोटर मार्ग के किमी 16 तुडतुडिया के पास ओलिग होते हुए भैरू, ओखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.68 है0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। अतः जनहित में प्रस्ताव 5.00 है0 से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है0 50 वृक्ष से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी— FP/UK/ROAD/20227/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, नैनीताल।
3. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, जनपद—बागेश्वर।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0, कपकोट, बागेश्वर।

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट मोटर मार्ग के किमी 16 तुडतुडिया के पास ओलिग होते हुए भैरू, ओखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.68 है0 का वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु बागेश्वर वन प्रभाग में 0.122 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.386 है0 राजस्व भूमि एंव 1. 172 है0 पंचायत वन भूमि अर्थात कुल 2.68 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट मोटर मार्ग के किमी 16 तुडतुडिया के पास ओलिग होते हुए भैरू, ओखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः 22/8/16

नाम व पदनामः (विनोद कुमार, भा.व.से.)
अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहरः
तिथि : 22/08/2016
स्थान : देहरादून

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून